

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं.17/2006

25 सितम्बर, 2006

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां



राष्ट्रीय  
आवास बैंक  
NATIONAL  
HOUSING BANK

महोदय,

**अपने ग्राहक की पहचान संबंधी दिशा-निर्देश - काले धन को बैंक  
करने पर रोक संबंधी पानक - रिपोर्टिंग प्रणाली**

कृपया हमारे परिपत्र सं. एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति सं.14/2006 दिनांक 25 जुलाई, 2006 का संदर्भ लें जिसके साथ अन्य बातों के साथ-साथ, एक फॉर्मेट भेजा गया था जिसमें नकद/संदिग्ध लेनदेन (सीटीआर/एसटीआर) के बारे में एफआईयू-आईएनडी, नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजना आवश्यक किया गया था।

2. एफआईयू-आईएनडी, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि आवास वित्त कंपनियों को किसी अवधि में नकद/संदिग्ध लेनदेन नहीं होने की स्थिति में "शून्य" रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है। आवास वित्त कंपनियां इस बात को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्रवाई करें।

भवदीय,

(राकेश भल्ला)

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग